



ए.एफ.आर.

सुरक्षित :- 11.2.2026

प्रदत्त :- 20.2.2026

अपलोड किया गया :- 20.2.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट सी संख्या-579 वर्ष 2025

प्रेमा देवी

...याचिकाकर्ता

बनाम

प्रधान गृह सचिव, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रतिपक्षीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रमा कान्त दीक्षित, उदय कुमार

प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर बी. सराफ़

माननीय न्यायमूर्ति श्री मंजीव शुक्ल

(माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर बी. सराफ़ द्वारा पारित)

प्रस्तुत रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने 20 फरवरी, 2024 को जिला कारागार पीलीभीत में अपने नाबालिग बेटे (सुखविंदर) की अप्राकृतिक मृत्यु के कारण याचिकाकर्ता को उचित और पर्याप्त मुआवजा देने का आदेश देते हुए परमादेश की रिट जारी करने की प्रार्थना की है। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिपक्षियों को दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में निर्देश दिया जाए, जो याचिकाकर्ता के बेटे की अप्राकृतिक मौत के लिए जिम्मेदार हैं।

तथ्य

1. प्रस्तुत रिट याचिका का तथ्यात्मक मैट्रिक्स नीचे चित्रित किया गया है:

क- याचिकाकर्ता के नाबालिग बेटे के खिलाफ धारा 363, 366 और 376 भ०द०वि० और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत के तहत मामला संख्या-742/2016

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वाला एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसके लिए वह पहले ही लगभग तीन साल और दस महीने की कैद से गुजर चुका था और 12 फरवरी 2022 को जमानत पर रिहा दिया गया था।

ख- याचिकाकर्ता के बेटे को अवर न्यायालय के समक्ष पेश होना था, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वह पेश नहीं हो सका। नतीजतन, उन्हें 7 फरवरी, 2024 को पुलिस ने वारंट के निष्पादन में गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जेल में हिरासत में ले लिया।

ग- 20 फरवरी, 2024 को, याचिकाकर्ता को प्रतिपक्षियों द्वारा सूचित किया गया था कि उसके बेटे की हिरासत में मृत्यु हो गई है। शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपने से पहले उसी दिन पंचनामा कराया गया। पंचनामा में संकेत दिया गया था कि मृतक की मौत मफलर से फांसी लगाने के कारण हुई थी और थाना रिपोर्ट में मृतक की मौत का कारण गर्दन पर लिंगेचर के निशान के साथ 'मृत्यु पूर्व हैंगिंग के कारण दम घुटना' बताया गया था।

घ- याचिकाकर्ता को प्रतिपक्षी अधिकारियों द्वारा विभिन्न वित्तीय लाभकारी योजनाओं के बारे में सूचित किया गया था और 22 फरवरी, 2024 के पत्र के माध्यम से इसे प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था।

ई- 5 अक्टूबर, 2024 को, पंचनामा और शव परीक्षण रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 176 द०प्र०स० (संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस.) के अनुसार मृतक की मौत के कारण की जांच के लिए एक पंचनामा प्रस्तुत की गई थी। इसमें यह देखा गया कि मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और यह भी नोट किया गया था कि मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई थी। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि जेल कैदियों द्वारा जेल अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और उकसाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

एफ- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत पंचनामा और शव परीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, 10 अक्टूबर, 2024 के आदेश के माध्यम से, मृतक के निकटतम परिवार के सदस्य को 3,00,000/- रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जी- इसके अनुसरण में, राज्य ने 21 नवंबर, 2024 को पुलिस महानिदेशक, जेल प्रशासन को एक पत्र जारी किया, जिसमें एन.एच.आर.सी. को मृतक कैदी के परिजनों को मुआवजा देने और जल्द से जल्द इस संबंध में एक पंचनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

एच- याचिकाकर्ता ने 6 दिसंबर, 2024 को एक आवेदन दायर किया, जिसमें उसके बेटे की अप्राकृतिक मृत्यु के लिए मुआवजे की मांग की गई।

आई- जिला जेल की हिरासत में रहते हुए अपने बेटे की अप्राकृतिक मृत्यु के लिए याचिकाकर्ता को मुआवजा नहीं देने में प्रतिपक्षियों की निष्क्रियता से व्यथित होकर, रिट याचिकाकर्ता प्रस्तुत रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय के समक्ष आया है।

याचिकाकर्ता की दलीलें

2. याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं: -

ए. याचिकाकर्ता के नाबालिग बेटे को इस तरह की यातना से राहत के लिए 4500/- रुपये के मासिक खर्च सहित अवैध धन की मांगों को पूरा न करने के कारण जेल के पुलिस कर्मियों द्वारा यातना दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उसकी अप्राकृतिक मृत्यु हो गई।

बी- याचिकाकर्ता पर प्रतिपक्षी अधिकारियों द्वारा तुरंत अंतिम अनुष्ठान करने का दबाव डाला गया था।

सी- याचिकाकर्ता द्वारा मुआवजे के लिए आवेदन करने और प्रतिपक्षी अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, याचिकाकर्ता को अब तक कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है।

डी- प्रतिपक्षियों की निष्क्रियता से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

ई- उनकी उपरोक्त दलीलों के समर्थन के लिए, याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के फैसलों पर भरोसा किया है:



i. (1993) 2 एससीसी 746 [उच्चतम न्यायालय] में रिपोर्ट की गई नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य

ii. (2017) 10 एससीसी 658 [उच्चतम न्यायालय] में रिपोर्ट की गई 1382 जेलों में पुनः अमानवीय स्थितियां

iii. स्व प्रेरणा हिरासत में हिंसा और जेल की स्थिति से संबंधित अन्य मामले बनाम मेघालय राज्य (2023) 5 जीएलटी 19 [मेघालय उच्च न्यायालय] में रिपोर्ट किया गया

iv. रशीदा खातून बनाम त्रिपुरा राज्य डब्ल्यूपी (सी) संख्या-797 वर्ष 2021 में [त्रिपुरा उच्च न्यायालय]

iv. श्रीमती मीणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य रिट-सी संख्या-7217 वर्ष 2019 [इलाहाबाद उच्च न्यायालय] में

प्रतिपक्षीगण के तर्क

3. प्रतिपक्षियों की ओर से पेश अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं: -

ए- यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के बेटे की मौत जेल परिसर के भीतर स्थित शौचालय के वेंटिलेटर से लटककर हुई थी। यह घटना आत्महत्या का कार्य था और अभिलेखों पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे मृतक की मौत में प्रतिपक्षी-अधिकारियों की ओर से किसी भी लापरवाही, कदाचार या संलिप्तता का संकेत मिलता हो।

बी- यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर विचार करने के बाद मृतक के निकटतम परिवार के सदस्य को 3,00,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

सी- यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुआवजे का वितरण तुरंत नहीं किया जा सका क्योंकि वर्तमान में मृतक के निकटतम परिजनों के सत्यापन और पहचान की प्रक्रिया चल रही है। उक्त पहचान प्रक्रिया पूरी होने और सरकार से अपेक्षित बजटीय आवंटन प्राप्त होने पर, अनुमोदित मुआवजा कानून के अनुसार जारी किया जाएगा।



डी- यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जांच करने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एक पंचनामा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें मृतक की मौत का कारण थाना से पहले फांसी माना गया था, और किसी भी बाहरी चोट या हिरासत में हिंसा का संकेत देने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली थी।

समस्या:

क्या हिरासत में मौत का मामला सामने आया है? यदि हां, तो क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अदालत को पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश देना चाहिए?

विश्लेषण:

4. मैंने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचारित प्रस्तुतियों पर अपना विचारशील विचार किया है और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया है।

5. हिरासत में मौत भारतीय न्याय प्रणाली के भीतर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक को दर्शाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और मानवीय गरिमा का अधिकार एक आंतरिक, अनुल्लंघनीय और सर्वव्यापी अधिकार है जो उस व्यक्ति को भी दिया जाता है जिसे राज्य द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में लिया गया है। भारत का संविधान केवल इसलिए मौलिक अधिकारों के निलंबन की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि कोई व्यक्ति हिरासत में है। इसके विपरीत, संवैधानिक न्यायशास्त्र इस तरह की मृत्यु के लिए राज्य पर जिम्मेदारी डालता है, इसलिए राज्य पर धारणा पैदा करता है और सख्त संवैधानिक जांच की मांग करता है [देखें: **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम चल्ला रामकृष्ण रेड्डी और अन्य (2000) 5 एस.सी.सी. 712** में रिपोर्ट किए गए हैं]।

6. हिरासत में मौत की घटना राज्य की बलपूर्वक शक्तियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संवैधानिक जनादेश के बीच द्वंद्ववात्मक संघर्ष को उजागर करती है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और न्याय के प्रभावी



प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी, हिरासत और जांच की व्यापक शक्तियों के साथ निहित किया जा रहा है, जो दुरुपयोग और मनमानी को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई संवैधानिक सीमाओं से क्षीण हो जाते हैं। हिरासत में मौत कानून-प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा यातना, जबरदस्ती, उपेक्षा, शक्ति के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप हो सकती है [देखें: **डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) 1 एस.सी.सी. 416** में रिपोर्ट किया गया]।

7. यह जानकर आश्चर्य होता है कि हमारे भारतीय संविधान में गैरकानूनी हिरासत या हिरासत में मौत के लिए मुआवजा देने के लिए कोई स्पष्ट जनादेश नहीं है। भारत ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों में अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, 1966 की पुष्टि की है, जिसमें अनुच्छेद 9(5) में कहा गया है कि 'जो कोई भी गैरकानूनी गिरफ्तारी या हिरासत का शिकार हुआ है, उसे मुआवजे का लागू करने योग्य अधिकार होगा'। उपरोक्त अनुसमर्थन के अनुरूप, भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अपना दायित्व वहन करता है। इसके अलावा, भारत के विधि आयोग ने यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के कार्यान्वयन पर अपनी 273वीं रिपोर्ट में कमजोर जवाबदेही, पारदर्शिता की कमी और दोषी अधिकारियों के संस्थागत संरक्षण के कारण हिरासत में हिंसा देखी गई है।

8. यदि हिरासत में मृत्यु स्वाभाविक रूप से होती है तो राज्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन यदि मृत्यु अस्वाभाविक रूप से हुई है तो राज्य अपने कृत्य/चूक के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आई.सी.आर.सी.) ने भी हिरासत में हुई मौतों की जांच के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें प्राकृतिक और अप्राकृतिक मौत के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है। आई.सी.आर.सी. के अनुसार, मृत्यु मस्तिष्क गतिविधि सहित सभी महत्वपूर्ण कार्यों की अपरिवर्तनीय समाप्ति है। यह स्वाभाविक है जब यह पूरी तरह से बीमारी और/या उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के कारण होता है। यह अप्राकृतिक है जब कारण बाहरी होते हैं जैसे जानबूझकर चोट, लापरवाही या अनजाने में चोट (दुर्घटना से मृत्यु) इत्यादि से होती है।

9. त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने रशीदा खातून (उपरोक्त) के फैसले में राज्य को डीके बसु (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए हिरासत में मौत के लिए मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें यह देखा गया था कि मुआवजे का उद्देश्य मृतक के रिश्तेदारों के घाव को ठीक करना है और अपराधी के लिए निवारक के रूप में कार्य नहीं करना है। निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर नीचे दिए गए हैं: -

"17. मुआवजे की मात्रा के निर्धारण के लिए हम लाभप्रद रूप से डीके बसु बनाम डीके के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति: (1997)1 एस.सी.सी. 416 में रिपोर्ट की गई है जिसमें शीर्ष न्यायालय ने माना है कि इस तरह के मौद्रिक मुआवजे का उद्देश्य घावों पर मरहम लगाना है न कि अपराधी या अपराधी को दंडित करना है, क्योंकि अपराध के लिए उचित सजा देना उन आपराधिक अदालतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिनमें अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के प्रस्तर-54 में की गई टिप्पणी इस प्रकार है:

"54. इस प्रकार, संक्षेप में, यह अब अधिकांश न्यायालयों में एक अच्छी तरह से स्वीकृत प्रस्ताव है, कि मौद्रिक या आर्थिक मुआवजा एक उपयुक्त है और वास्तव में एक प्रभावी और कभी-कभी शायद एकमात्र उपयुक्त उपाय है जो लोक सेवकों द्वारा एक नागरिक के जीवन के मौलिक अधिकार के स्थापित उल्लंघन के निवारण के लिए है और राज्य उनके कृत्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। नागरिक का दावा सख्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है जिसके लिए संप्रभु प्रतिरक्षा की रक्षा उपलब्ध नहीं है और नागरिक को राज्य से मुआवजे की राशि प्राप्त करनी चाहिए, जिसे गलत काम करने वाले द्वारा क्षतिपूर्ति करने का अधिकार होगा। मुआवजे के आकलन में, प्रतिपूरक पर जोर दिया जाना चाहिए न कि दंडात्मक तत्व पर। इसका उद्देश्य घावों पर मरहम लगाना है और अपराधी या अपराधी को दंडित करना नहीं है, क्योंकि अपराध के लिए उचित सजा देना (मुआवजे की परवाह किए बिना)

उन आपराधिक अदालतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिनमें अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है, जो राज्य कानून में करने के लिए बाध्य है। सार्वजनिक कानून के अधिकार क्षेत्र में मुआवजे का वह पंचाट भी किसी अन्य कार्रवाई के प्रति प्रतिकूल प्रभाव के बिना है, जैसे कि नुकसान के लिए दीवानी मुकदमे, जो राज्य के पदाधिकारियों द्वारा किए गए दुर्भावनापूर्ण कार्य के लिए पीड़ित या मृतक पीड़ित के उत्तराधिकारियों के लिए उसी मामले के संबंध में कानूनी रूप से उपलब्ध है। मुआवजे की मात्रा, निश्चित रूप से, प्रत्येक मामले के अजीबोगरीब तथ्यों पर निर्भर करेगी और इस संबंध में कोई सीधा-सटीक फार्मूला विकसित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, सार्वजनिक कानून के अधिकार क्षेत्र के तहत नागरिक के मौलिक अधिकारों के स्थापित आक्रमण के लिए गलत को सुधारने की राहत, पारंपरिक उपचारों के अतिरिक्त है, न कि उनका अपमान करने में। न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि और राज्य द्वारा किए गए गलत काम को दूर करने के लिए भुगतान की गई राशि को किसी भी मामले में, किसी भी राशि के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है जो दावेदार को सिविल मुकदमे में नुकसान के माध्यम से प्रदान की जा सकती है।

18. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उपर्युक्त (पूर्वोक्त) उद्धृत निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, हम राज्य प्रतिवादियों को निर्देश देते हैं कि वे जमाल हुसैन की अभिरक्षा (कस्टोडियल) में हुई मृत्यु के संबंध में याचिकाकर्ताओं को प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) के रूप में ₹10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) की राशि आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करें। मृतक की विधवा, संतानें तथा माता, जो इस याचिका की याचिकाकर्ता हैं, उक्त प्रतिकर राशि में समान भाग प्राप्त करने की अधिकारिणी होंगी। प्रतिकर राशि जमा किए जाने पर, रजिस्ट्री मृतक की माता एवं पत्नी के हिस्से की राशि उनके-अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में अंतरण (हस्तांतरण) कर वितरित करेगी। संतानों के हिस्से की राशि उनके नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में तब तक निवेशित की जाएगी, जब तक वे वयस्कता (बालिग

होने) की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। उक्त सावधि जमाओं पर अर्जित होने वाला मासिक ब्याज उनकी शिक्षा तथा अन्य आवश्यक व्ययों की पूर्ति हेतु उनकी माता के बैंक खाते में अंतरित किया जाएगा।

10. स्वतः संज्ञान हिरासत में हिंसा और जेल की स्थिति से संबंधित अन्य मामलों (उपरोक्त) में, शिलांग में मेघालय उच्च न्यायालय ने माना है कि जब राज्य की हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु की बात आती है तो सख्त दायित्व सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई जगह नहीं है। इस संबंध में राज्य का दायित्व तब तक पूर्ण है जब तक कि यह न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह प्रदर्शित न करे कि मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। न्यायालय यथोचित रूप से अन्यथा अनुमान लगाएगा और राज्य को उत्तरदायी ठहराएगा। इसके अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ मृतक की आयु के अनुसार मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए भी यह देखा गया। जिनमें से प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत किए गए हैं: -

"24. हिरासत में मौत एक सभ्य राज्य पर एक कलंक है और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आदर्श रूप से, हिरासत में रहते हुए, प्राकृतिक कारणों को छोड़कर, कोई मृत्यु नहीं होनी चाहिए। बेशक, प्राकृतिक कारण राज्य के नियंत्रण से बाहर हैं और लंबी सजा काट रहे दोषियों को भी उम्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं जो उनकी मृत्यु का कारण बन सकती हैं। लेकिन विचारणाधीन कैदियों की मौतों की संख्या-पर ध्यान देना विशेष रूप से परेशान करने वाला है क्योंकि जांच एजेंसी गिरफ्तार व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने के लिए थर्ड-डिग्री तरीकों का उपयोग करती है, बजाय इसके कि वे मामले की जांच करें। अक्सर, राज्य द्वारा अपने पुलिस कर्मियों के माध्यम से की गई ज्यादतियों के परिणामस्वरूप प्रवेश होता है, जो गलत हो सकता है, लेकिन जो आगे की यातना को रोकने या देरी करने के लिए बनाए जाते हैं। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के साथ पुलिस की बर्बरता और अमानवीय व्यवहार को गिरफ्तार करना है, तो हिरासत में मौत के लिए मुआवजे को उस स्तर पर आंका जाना चाहिए जहां राज्य को भुगतान करने के लिए खून बहाना होगा; वह नहीं जो राज्य भुगतान करने में प्रसन्न है।

25. किसी भी दर पर, सख्त देयता सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई जगह नहीं है जब यह राज्य की हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु की बात आती है। इस संबंध में राज्य का दायित्व पूर्ण है और जब तक यह न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह प्रदर्शित नहीं करता है कि मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी, न्यायालय यथोचित रूप से अन्यथा अनुमान लगा सकता है और राज्य को उत्तरदायी ठहरा सकता है। राज्य को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। यह संभव है कि कई मामलों में उत्साही अधिकारी ड्यूटी की कॉल या एस.ओ.पी. से परे चले जाएंगे। ऐसे मामलों में, राज्य अपने अधिकारियों के कार्यों और आचरण के लिए उत्तरदायी रहेगा, लेकिन राज्य ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और यहां तक कि कानून के अनुसार ऐसे अधिकारियों से भुगतान किए जाने वाले मुआवजे को भी वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। यद्यपि हरियाणा अधिसूचना में दर्शाया गया वर्गीकरण और जैसा कि राज्य द्वारा बिना सोचे-समझे अपनाया गया है, घृणित और अप्रिय प्रतीत होता है, हमारे न्यायशास्त्र में इसके लिए एक मिसाल के आधार पर वर्गीकरण का कोई अन्य रूप होना चाहिए। मोटर दुर्घटना दावों के संबंध में, पीड़ित की आयु के आधार पर देय मुआवजे की मात्रा का वर्गीकरण किया गया है। तदनुसार, हिरासत में मरने वाले पीड़ितों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना उचित समझा जाता है, अर्थात्, 30 से कम; 30 से 45 के बीच; और, 45 से ऊपर।

26. चूंकि इस न्यायालय द्वारा मीना एस. मारक के मामले में दिए गए निर्णय में प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) की मात्रा पूर्व में ही निर्धारित की जा चुकी है, अतः 30 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति की अभिरक्षा (कस्टोडियल) में मृत्यु होने की स्थिति में उसके निकटतम विधिक आश्रितों को देय प्रतिकर राशि ₹15,00,000/- (रुपये पंद्रह लाख मात्र) मानी जाएगी। 30 वर्ष से 45 वर्ष के आयु-वर्ग के पीड़ितों के संबंध में प्रतिकर की राशि ₹12,00,000/- (रुपये बारह लाख मात्र) होगी तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के पीड़ितों के संबंध में यह राशि ₹10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) होगी। यद्यपि इस प्रकार की सांकेतिक



राशि निर्धारित करने में कुछ सीमा तक व्यक्तिपरकता का तत्व निहित रहता है, तथापि जब क्षतिपूर्ति का निर्धारण अथवा हानि-पूर्ति का आकलन किया जाता है, तब अनुमानाधारित मूल्यांकन का एक तत्व सदैव विद्यमान रहता है और उसका अवलंबन किया जाता है।

11. पहले मुद्दे से निपटते हुए, द०प्र०स० की धारा 174 (संबंधित धारा 194 बी.एन.एस.एस.) के अनुसार तैयार किए गए पंचनामा की जांच करना उचित है, जो जेल में मृत्यु की तारीख पर ही उप-मंडल मजिस्ट्रेट, सर्कल अधिकारी, निरीक्षक और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में अवधारित किया गया था। पंचनामा में दर्ज था कि मृतक ने शौचालय के वेंटिलेटर से मफलर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

12. इसके अलावा, शव परीक्षण रिपोर्ट गर्दन के चारों ओर संयुक्ताक्षर के निशान की उपस्थिति और बाएं निचले पैर के मध्य के पूर्वकाल पहलू पर एक सतही घर्षण को इंगित करती है। धारा 176 द०प्र०स० (संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस.) के अनुसार तैयार की गई पंचनामा भी प्रस्तुत की गई है, जिसमें सभी गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृतक ने आत्महत्या कर ली है। मृतक के शरीर पर थाना करने वाले डॉक्टर के बयानों के अनुसार, शरीर पर पाए गए घाव प्रकृति में मामूली थे जो मृतक की मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं थे।

13. यह निर्विवाद है कि मृतक राज्य की हिरासत में था और उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके आस-पास ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसने उसे इस तरह का चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप एक स्पष्ट रूप से अप्राकृतिक मृत्यु हुई। इसके अलावा, मृतक की अप्राकृतिक मृत्यु के लिए राज्य पूरी तरह से उत्तरदायी है, क्योंकि बिना किसी अपवाद के पुलिस की हिरासत में एक कैदी की मृत्यु के लिए राज्य पर एक बढ़ा हुआ कर्तव्य डाला जाता है। कोई भी राज्य कैदियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता है। तदनुसार, प्रस्तुत मामले में हिरासत में मौत का मामला बनाया गया है।

14. अब रिट न्यायालय द्वारा मुआवजा देने के संबंध में मुद्दे का विज्ञापन करते हुए, हम **रुदुल साह बनाम बिहार राज्य (1983) 4 एस.सी.सी. 141** में दिए गए सर्वोच्च

न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। मुकदमे में बरी होने के बाद भी अवैध हिरासत के मामले से निपटते समय, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि मृतक के परिजन अवैध हिरासत के लिए मुआवजे के हकदार थे और राज्य की बासी और बाँझ आपत्ति को खारिज कर दिया कि नुकसान के लिए मुकदमा दायर करके मुआवजा वसूला जा सकता है। निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर-नीचे दिए गए हैं:

"9. यह सच है कि अनुच्छेद 32 का उपयोग उन अधिकारों और दायित्वों के प्रवर्तन के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता है जिन्हें अदालतों, सिविल और आपराधिक की सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इसलिए एक धन के दावे को आंदोलन करना होगा और इसे चलाने के लिए सक्षम निम्नतम ग्रेड के न्यायालय में स्थापित एक मुकदमे में निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे विचार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय धन के भुगतान के लिए आदेश पारित कर सकता है यदि ऐसा आदेश मौलिक अधिकार से वंचित होने के परिणामस्वरूप मुआवजे की प्रकृति में है। प्रस्तुत मामला ऐसे मामलों का उदाहरण है। याचिकाकर्ता को पूरी तरह से तैयार मुकदमे में बरी किए जाने के बाद 14 साल से अधिक समय तक जेल में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। उन्होंने अवैध हिरासत से अपनी रिउच्च के लिए इस अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उन्होंने वह राहत प्राप्त की, हमारा निष्कर्ष यह है कि बरी होने के बाद जेल में उनकी हिरासत पूरी तरह से अनुचित थी। उनका तर्क है कि वह अपनी अवैध हिरासत के लिए मुआवजे का हकदार हैं और हमें इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में ही मुआवजे के भुगतान के लिए एक उचित आदेश पारित करना चाहिए।

10. हम इस तर्क का विरोध नहीं कर सकते। हम इसका कोई प्रभावी उत्तर नहीं देखते हैं, सिवाय इस बासी और बाँझ आपत्ति के कि याचिकाकर्ता, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, तो राज्य सरकार से नुकसान की बरामदगी के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। खुशी की बात है कि राज्य के अधिवक्ता ने उस आपत्ति को नहीं उठाया है। याचिकाकर्ता को मुकदमे के सामान्य उपाय के लिए धकेल



दिया जा सकता था यदि मुआवजे का उसका दावा तथ्यात्मक रूप से विवादास्पद था, इस अर्थ में कि एक दीवानी अदालत ने उसके दावे को बरकरार रखा हो सकता है या नहीं भी कर सकता है। लेकिन हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता अपनी अवैध हिरासत के लिए हर्जाने की बरामदगी के लिए मुकदमा दायर करता है, तो उस मुकदमे में नुकसान के लिए एक डिब्री पारित करनी होगी, हालांकि सबूतों के अभाव में, सटीक राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, जो उसके पक्ष में तय की जाएगी। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के पक्ष में मुआवजे का आदेश पारित करने के लिए इस न्यायालय का इनकार केवल स्वतंत्रता के उसके मौलिक अधिकार के लिए केवल जुबानी सेवा होगी, जिसका राज्य सरकार ने घोर उल्लंघन किया है। अनुच्छेद 21 जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, इसकी महत्वपूर्ण सामग्री से वंचित कर दिया जाएगा यदि इस न्यायालय की शक्ति अवैध हिरासत से रिउच्च के आदेश पारित करने तक सीमित थी। उन तरीकों में से एक जिससे उस अधिकार के उल्लंघन को यथोचित रूप से रोका जा सकता है और अनुच्छेद 21 के जनादेश का उचित अनुपालन सुरक्षित किया जा सकता है, मौद्रिक मुआवजे के भुगतान में इसके उल्लंघनकर्ताओं को शामिल करना है। मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन की ओर ले जाने वाले प्रशासनिक स्कलेरोसिस को न्यायपालिका के लिए किसी अन्य तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। मुआवजे का अधिकार उन साधनों के गैरकानूनी कृत्यों के लिए कुछ उपशामक है जो सार्वजनिक हित के नाम पर कार्य करते हैं और जो उनकी सुरक्षा के लिए राज्य की शक्तियों को ढाल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यदि इस देश में सभ्यता का नाश नहीं होना है जैसा कि कुछ अन्य देशों में नष्ट हो गया है, तो यह स्वीकार करने के लिए खुद को शिक्षित करना आवश्यक है कि व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान लोकतंत्र का सच्चा गढ़ है। इसलिए, राज्य को अपने अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के अधिकारों के लिए किए गए नुकसान की मरम्मत करनी चाहिए। हो सकता है कि यह उन अधिकारियों के खिलाफ सहारा हो।

15. इसके अलावा, नीलाबती बेहरा (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में हुई मौतों के लिए मुआवजे को सार्वजनिक कानून के उपाय के रूप में मान्यता दी है और माना है कि राज्य के साधनों या सेवकों द्वारा मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामलों में, रिट न्यायालय राज्य को मौद्रिक पुनरीक्षण के माध्यम से पीड़ित या उसके कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत किए गए हैं: -

"23. अब सवाल मुआवजे की मात्रा का है। मृतक सुमन बेहरा की उम्र करीब 22 साल थी और उसकी मासिक आय 1200 रुपये से 1500 रुपये के बीच थी। यह जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए सबूतों के आधार पर निष्कर्ष है, और इसकी शुद्धता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। हमारी राय में, प्रस्तुत मामले में याचिकाकर्ता को दिए जाने वाले मुआवजे के रूप में कुल 1,50,000 रुपये की राशि उचित होगी। हालांकि, हम यह देख सकते हैं कि इस कार्यवाही में मुआवजे के पंचाट को समायोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा, उसी आधार पर मुआवजे की बरामदगी के लिए याचिकाकर्ता द्वारा की गई किसी अन्य कार्यवाही की स्थिति में, ताकि याचिकाकर्ता द्वारा इस सीमा तक की राशि दो बार वसूल न की जा सके। इस तथ्य के अलावा कि ऐसा आदेश न्यायसंगत है, यह द०प्र०स० की धारा 357(5) और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 141(3) में प्रदान किए गए समायोजन के इस सिद्धांत की वैधानिक मान्यता के अनुरूप भी है।

24. तदनुसार, हम प्रतिपक्षी उड़ीसा राज्य को याचिकाकर्ता को 1,50,000 रुपये की राशि का भुगतान करने और उच्चतम न्यायालय कानूनी सहायता समिति को भुगतान की जाने वाली लागत के रूप में 10,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। याचिकाकर्ता को 1,50,000 रुपये के भुगतान का तरीका याचिकाकर्ता के नाम पर एक अनुसूचित बैंक में तीन साल की अवधि के लिए उस राशि की सावधि जमा करना होगा, जिसके दौरान उसे केवल उस पर देय ब्याज प्राप्त होगा, मूल राशि अवधि की समाप्ति पर उसे देय होगी। जिले के कलेक्टर इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगा, और तीन महीने के भीतर इस



न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

16. 1382 जेलों (उपरोक्त) में पुनः अमानवीय परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में मौत के मुद्दे पर व्यापक रूप से और विस्तार से विचार किया है और निम्नानुसार व्यवस्था दी है: -

9. प्राकृतिक और अप्राकृतिक मौतों को परिभाषित करने के मुद्दे पर, एमिकस क्यूरी / न्याय मित्र ने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आई.सी.आर.सी.) द्वारा जारी हिरासत में मौतों की जांच पर दिशानिर्देशों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। आई.सी.आर.सी. के अनुसार, 'मृत्यु' मस्तिष्क गतिविधि सहित सभी महत्वपूर्ण कार्यों की अपरिवर्तनीय समाप्ति है। मृत्यु 'प्राकृतिक' है जब यह पूरी तरह से बीमारी और/या उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के कारण होती है। यह 'अप्राकृतिक' है जब इसके कारण बाहरी हों, जैसे जानबूझकर चोट (हत्या, आत्महत्या), लापरवाही या अनजाने में चोट (दुर्घटना से मौत)। हमने आई.सी.आर.सी. द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशा-निर्देशों का अध्ययन किया है और हमारा विचार है कि इन दिशा-निर्देशों पर केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाना चाहिए और उन्हें परिचालन में लाया जाना चाहिए।

एन.एच.आर.सी. और आत्महत्या की रोकथाम

10. एमिकस क्यूरी / न्याय मित्र द्वारा बताया गया है कि आत्महत्याओं के कारण अप्राकृतिक मौतों की अनुपातहीन रूप से बड़ी संख्या है। इस संबंध में, एमिकस क्यूरी / न्याय मित्र द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया है कि जेलों में आत्महत्याओं के संबंध में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या एन.एच.आर.सी. ने दिसंबर 2014 में 'जेल में आत्महत्या' रोकथाम रणनीति और मानवाधिकारों और कानूनी दृष्टिकोणों से निहितार्थ शीर्षक से एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया है। इस मोनोग्राफ में दर्ज किया गया है कि 2007-2011 की अवधि के दौरान, आत्महत्या के कारण जेलों में होने वाली मौतें अप्राकृतिक मौतों की कुल संख्या का 71% थीं। यह भी बताया गया कि इस अवधि के लिए आम जनता के बीच औसत आत्महत्या दर 11 (प्रति 100,000) है, जबकि जेल में



औसत आत्महत्या दर 16.9 (प्रति 100,000) है। दूसरे शब्दों में, जेलों में औसत आत्महत्या दर सामान्य परिस्थितियों की तुलना में 50% से अधिक है। मोनोग्राफ हिरासत में होने वाली मौतों के पहलू पर एन.एच.आर.सी. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कुछ संचारों को संदर्भित करता है, लेकिन हम उन्हें थोड़ी देर बाद कुछ और विस्तार से देखेंगे।

12. 'जेल के माहौल की विशेषताओं का विवरण देते हुए, जो जेलों में आत्महत्याओं की अधिक संभावना बनाते हैं, एन.एच.आर.सी. मोनोग्राफ में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

1. सत्तावादी वातावरण
2. भविष्य पर कोई स्पष्ट नियंत्रण नहीं
3. परिवार, दोस्तों और समुदाय से अलगाव
4. कैद की शर्म
5. कैद के अमानवीय पहलू
6. डर
7. गिरफ्तारी और कैद की घटना के प्रति कर्मचारी असंवेदनशीलता
8. अन्य कैदियों द्वारा शत्रुता और बदमाशी
9. पर्याप्त चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परामर्श और उपचार सुविधा का अभाव। पैरोल तय करने में देरी।

14. एन.एच.आर.सी. ने जेलों में आत्महत्याओं की संख्या-को कम करने के लिए विभिन्न सुरक्षात्मक कारकों या उपायों का सुझाव दिया है। उनमें से दौरे और संपर्क हैं जो कैदी के परिवार के साथ हो सकते हैं, जेल में रचनात्मक व्यवसाय, भविष्य के लिए आशाएं और योजनाएं और कर्मचारियों से समर्थन पैदा करना।



15 एन.एच.आर.सी. ने 15-4-2011 को कारागार सुधार पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भी अवधारित की। राष्ट्रीय संगोष्ठी में की गई सिफारिशों को मोनोग्राफ में भी दर्शाया गया है और साथ ही आत्महत्या निवारण कार्यक्रमों के लिए कुछ कार्रवाई योग्य बिन्दु भी दर्शाए गए हैं। अपने निष्कर्ष में, एन.एच.आर.सी. ने दर्ज किया है; जेलों में आत्महत्याओं को रोकने के प्रयासों की सफलता प्रत्येक कैदी की भेद्यता की पहचान करने, आवश्यक पर्यवेक्षण और सहायता प्रदान करने और भावनात्मक संकट से निपटने और कम करने के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करने की क्षमता और इच्छा पर निर्भर करती है। यह ध्यान दिया जाता है कि जेलों में आत्महत्याओं की समस्या के किसी भी प्रस्तावित समाधान के परिणामस्वरूप कोई दीर्घकालिक सुधार नहीं होगा।

16. हमने ऊपर जो उल्लेख किया है, वह केवल इस बात का एक संक्षिप्त संकेत है कि एन.एच.आर.सी. ने जेलों में आत्महत्याओं पर एक समग्र मोनोग्राफ और एक विस्तृत अध्ययन लाने के लिए किस हद तक प्रयास किया है। हमारे विचार में, यह निश्चित रूप से जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जेलों में आत्महत्याओं को कम करने में उपयोगी होगा, अगर जेलों में आत्महत्याओं को समाप्त नहीं किया जाता है। हमारी राय में, एन.एच.आर.सी. द्वारा तैयार किए गए मोनोग्राफ को पूरे देश में कर्मचारियों और जेलों के बीच स्वतंत्र रूप से वितरित किया जाना चाहिए क्योंकि जहां तक जेलों में आत्महत्या की रोकथाम का संबंध है, यह अत्यधिक उपयोगिता का दस्तावेज है।

38. एमिक्स क्यूरी / न्याय मित्र द्वारा हिरासत में हर मौत की जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि एन.सी.आर.बी. के अनुसार जेलों में रिपोर्ट की गई मौतों और एन.एच.आर.सी. के पास उपलब्ध आंकड़ों से प्राप्त जेलों में रिपोर्ट की गई मौतों के बीच डेटा में विसंगति थी। एमिक्स क्यूरी / न्याय मित्र द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि इस विसंगति को दूर करने की आवश्यकता है और जेल में होने वाली प्रत्येक मौत के लिए पर्याप्त कारण प्रदान किए जाने चाहिए।

48. उपरोक्त निर्णयों और इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई अन्य निर्णयों के अलावा, देश के लगभग प्रत्येक उच्च न्यायालय ने कभी न कभी हिरासत में किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु के लिए मुआवजा भी दिया है, चाहे वह विचाराधीन कैदी हो या दोषी। ऐसे कुछ उदाहरण नोट किए जा सकते हैं:

(क) नीना राजन पिल्लई बनाम भारत संघ' [नीना राजन पिल्लई बनाम भारत संघ, 2011 एस.सी.सी. ऑनलाइन डेल 2252: (2011) 180 डीएलटी 104]

48.1. 'याचिकाकर्ता के पति की जेल अधिकारियों द्वारा दिए गए अपर्याप्त चिकित्सा उपचार के कारण न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो गई। दिल्ली के उपराज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ की अध्यक्षता में एक जांच आयोग भी नियुक्त किया है, जो याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु के कारणों की जांच करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिरासत में अप्राकृतिक मौत के लिए मुआवजा सुनाया।

(ख) केवलबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य' [केवलबाई बनाम] महाराष्ट्र राज्य, 2013 एस.सी.सी. ऑनलाइन बॉम 773: (2013) 3 बॉम सीआर (क्रिल) 601]

48.2. 'पीड़ित को हिरासत में रहते हुए एक कांस्टेबल ने गोली मार दी थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हिरासत में अप्राकृतिक मौत के लिए मुआवजा दिया।

(ग) भेडुकी बुरागोहैन। असम राज्य [भेडुकी बुरागोहैन बनाम असम राज्य, 2013 एस.सी.सी. ऑनलाइन जीयू 429: (2013) 6 गौ एलआर 517]

48.3. 'विचाराधीन पीड़िता की संदिग्ध परिस्थितियों में न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो गई। शव परीक्षण रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मौत का कारण गला घोटने और कुंद हथियारों द्वारा पूर्व-मॉर्टम चोटों के परिणामस्वरूप दम घुटना था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने हिरासत में अप्राकृतिक मौत के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया।

(घ) मधुबेन अदेसरा व। गुजरात राज्य' [मधुबेन अदेसरा बनाम गुजरात राज्य, 2016



एस.सी.सी. ऑनलाइन गुजरात 1956]

48.4. 'मृतक को हिरासत में रहते हुए पुलिस अधिकारियों द्वारा बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और इलाज के दौरान उसकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़िता पर चोट के कई निशान थे जो थाना से पहले प्रकृति के थे। गुजरात उच्च न्यायालय ने हिरासत में अप्राकृतिक मौत के लिए मुआवजे का आदेश दिया।

(ड) 'बनालता दशा बनाम उड़ीसा राज्य [बनालता दशाव]। उड़ीसा राज्य, ए.आई.आर.

2012 ओरी 97]

48.5. 'मृतक को एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, कलाई पर तौलिये से बंधा हुआ था। चूंकि पीड़िता जेल अधिकारियों की हिरासत में थी, इसलिए उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा हिरासत में अप्राकृतिक मौत के लिए मुआवजा दिया गया था।

(च) 'अमनदीप बनाम पंजाब राज्य' [अमनदीप बनाम पंजाब राज्य, 2012 एस.सी.सी.

ऑनलाइन पी एंड एच 19844: (2013) 169 पीएलआर 191]

48.6. 'मृतक पर एक सह-कैदी ने हमला किया और अस्पताल में चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। हिरासत में अप्राकृतिक मौत के कारण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

(छ) रोहिणी लिंगम। राज्य' [Tmt. रोहिणी लिंगम बनाम राज्य, 2008 एस.सी.सी.

ऑनलाइन पागल 1249: (2008) 5 एमएलजे 822]

48.7. 'पीड़ित की हत्या उसके दुश्मनों ने जेल में रहते हुए कर दी थी। हिरासत में अप्राकृतिक मौत के कारण, मद्रास उच्च न्यायालय ने उनके परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया।

(ज) 'साबू ई.के. बनाम केरल राज्य' [साबू ई.के.वी. ' केरल राज्य, 2016 एस.सी.सी.

ऑनलाइन केर 22210: (2016) 4 केएलजे 105]



48.8. 'पीड़ित को एक थाना में प्रताड़ित किया गया और उसकी चोटों के कारण मौत हो गई। हिरासत में अप्राकृतिक मौत को देखते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने मृतक के परिजनों को संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा समाप्त होने तक अंतरिम मुआवजा दिया।

(i) 'रवीन्द्र नाथ अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' [रवीन्द्र नाथ अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2009 एस.सी.सी. ऑनलाइन 337: (2009) 2 आंगनवाड़ी केंद्र 2090]

48.9. 'पीड़िता एक अधिवक्ता था जिसे न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया गया था। जब वह अपनी सजा काट रहा था, जेल अधिकारियों ने उसे बुरी तरह पीटा और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हिरासत में अप्राकृतिक मौत के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

(ज) 'मदीना बनाम राजस्थान राज्य' [मदीना बनाम राजस्थान राज्य, 2000 एस.सी.सी. ऑनलाइन राज 203: 2000 क्रि. एलजे 4484]

48.10. 'थर्ड डिग्री विधियों के उपयोग के कारण पीड़ित की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। हिरासत में अप्राकृतिक मौत के कारण, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।

(क) 'दुखुरम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (दुखुरम) छत्तीसगढ़ राज्य, (2011) 3 एमपीएचटी 81]

48.11. 'मृतक को चोरी की गई वस्तुओं को पुनर्प्राप्त करने के लिए थाना से ले जाया गया था, जो कथित तौर पर उसके द्वारा एक गुप्त स्थान पर छिपाए गए थे। उसे एक तालाब में लाया गया और तालाब में गोता लगाने के लिए मजबूर किया गया। उस समय उसे हथकड़ी लगाई गई थी और जंजीरों में जकड़ दिया गया था। इसके बाद मृतक का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। अप्राकृतिक मौत को देखते हुए जब मृतक पुलिस अधिकारियों की हिरासत में था, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मुआवजा सुनाया।

(ठ) 'संतोष कुमारी बनाम हिमाचल प्रदेश की स्थिति' [संतोष कुमारी बनाम हिमाचल प्रदेश, 2007 एस.सी.सी. ऑनलाइन एचपी 45: 2008 एसीजे 1684]



48.12. 'पीड़ित की मृत्यु तब हुई जब वह पुलिस हिरासत में था और यह पाया गया कि उसके सिर, कंधों, आंखों, घुटनों और निजी अंगों पर चोटें थीं। समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिलने के कारण अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हिरासत में अप्राकृतिक मौत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

(ड) जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम सज्जाद अहमद डार [जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम सज्जाद अहमद डार, 2015 एस.सी.सी. ऑनलाइन जम्मू-कश्मीर 160]

48.13. 'जम्मू और कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम, 1978 के तहत जिला जेल में हिरासत में रहते हुए पीड़ित की मृत्यु कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के कारण हुई। यह माना गया कि मौत लापरवाही, गैर-गंभीरता और चिकित्सा उपचार का विस्तार नहीं करने में लापरवाही के कारण हुई थी। हिरासत में अप्राकृतिक मौत को देखते हुए जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

(न) मीना सिंह बनाम बिहार राज्य' [मीना सिंह बनाम बिहार राज्य, 2001 एस.सी. ऑनलाइन झार 74: 2001 क्रि. एलजे 3573]

48.14. 'पीड़ित पर सह-कैदियों द्वारा छुरा, लोहे की छड़ और बेल्ट आदि का उपयोग करके हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पटना उच्च न्यायालय ने हिरासत में पीड़िता की अप्राकृतिक मौत के लिए मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया था।

(ओ) 'न्याय के लिए अधिवक्ता बनाम मध्य प्रदेश राज्य'[न्याय के लिए अधिवक्ता बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2015 एस.सी.सी. ऑनलाइन एमपी 7488: ए.आई.आर. 2015 एमपी 212]

48.15. 'पीड़ित दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहा था। जब वह एक अस्पताल में इलाज करा रहे थे, तब एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिरासत में अप्राकृतिक मौत को देखते हुए पीड़िता के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया

है।

क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता

54. 'न्याय निर्णयज विधि इंगित करता है कि पिछले कई दशकों में इस न्यायालय और लगभग हर उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 पर भरोसा किया है और अप्राकृतिक हिरासत में मौत के लिए परिजनों को मुआवजा देना उचित समझा है। संवैधानिक अदालतें इस मुद्दे पर फैसले के बाद फैसला सुना सकती हैं और मुआवजा दे सकती हैं, लेकिन जब तक राज्य यह महसूस नहीं करता है कि हिरासत में मौत अपने आप में एक अपराध है और मौद्रिक मुआवजा ही एकमात्र उचित राहत नहीं है जो मृतक के परिजनों को दी जा सकती है, तब तक ऐसी अप्राकृतिक मौतें बेरोकटोक जारी रहेंगी। इसलिए, मानवीय बारीकियों के साथ सभी जेलों की समीक्षा की आवश्यकता है।

55. 'पिछले कई वर्षों में, पीड़ितों के अधिकारों पर चर्चा हुई है और अपराध के शिकार के अधिकारों में से एक मुआवजा प्राप्त करना है। लगभग प्रत्येक राज्य द्वारा पीड़ित मुआवजे के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं और यह एक संपूर्ण विकास है। लेकिन केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जेल में अप्राकृतिक मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति भी कभी-कभी अपराध के शिकार होते हैं और कभी-कभी लापरवाही और उदासीनता या दोनों के शिकार होते हैं। अपने परिजनों को मुआवजा प्राप्त करने से बाहर करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि अप्राकृतिक मौत का शिकार अपराधी है। मानवाधिकार किसी व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि प्रकृति में सार्वभौमिक हैं। एक बार जब इस मुद्दे को इस परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है, तो यह मूल्यांकन की जाएगी कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया है या वह अपराध का अपराधी है और जेल हिरासत में है, वह व्यक्ति फिर भी अप्राकृतिक मौत का शिकार हो सकता है। इसलिए, परिजनों को मुआवजा देने की जरूरत है।

निष्कर्ष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

17. पूर्वगामी विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि मृतक की मृत्यु राज्य के अधिकारियों की हिरासत और नियंत्रण में रहते हुए हुई थी, और यह कि अभिलेखों पर रखी गई सामग्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। हिरासत में यातना मानवीय गरिमा और गिरावट का एक नग्न उल्लंघन है जो आत्मसम्मान और पीड़ित के होने को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। हिरासत में यातना मानवीय गरिमा पर एक सोची-समझी हमला है और जब भी मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है, सभ्यता एक कदम पीछे हट जाती है। जांच प्रणाली से यातना को दूर करने की सिफारिशों के बावजूद, पुलिस हिरासत और जेलों में यातना और मौतों की बढ़ती घटनाएं जारी हैं। हिरासत में हिंसा और मौतें कानून के शासन के मूल पर प्रहार करती हैं और मानवीय गरिमा का अपमान करती हैं। राज्य, अपनी हिरासत में व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षक होने के नाते, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त और गैर-अपमानजनक कर्तव्य वहन करता है। इस दायित्व का निर्वहन करने में विफलता सार्वजनिक कानून दायित्व को आकर्षित करती है।

18. प्रतिपक्षियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण न तो ठोस हैं और न ही याचिकाकर्ता के बेटे की मृत्यु के अनुमान को विस्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं। तदनुसार, मृत्यु की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों के लिए राज्य पर जो जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्भर करती है, उसे संतोषजनक ढंग से निर्वहन नहीं किया गया है। राज्य का यह तर्क कि मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई थी और यह अप्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, इसमें कोई दम नहीं है जैसा कि ऊपर चर्चा किए गए निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1382 कारागारों (उपरोक्त) में पुनः अमानवीय परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी है कि आत्महत्या करना (आंतरिक) जानबूझकर की गई चोट के बराबर होगा और यह एक अप्राकृतिक मृत्यु होगी जिसमें दायित्व पूरी तरह से राज्य पर आएगा। उसी के आलोक में, कोई भी स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि प्रस्तुत मामले के तथ्य संवैधानिक सुरक्षा के स्पष्ट उल्लंघन का खुलासा करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

19. यह अच्छी तरह से स्थापित है, अन्य बातों के साथ-साथ, नीलाबती बेहरा (उपरोक्त) और डीके बसु (उपरोक्त) में कि यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, मौलिक अधिकारों के स्थापित उल्लंघन के लिए सार्वजनिक कानून में एक उपाय के रूप में मौद्रिक मुआवजा देने का अधिकार है, जो निजी कानून में उपलब्ध उपचारों से स्वतंत्र और इसके अलावा है। मौद्रिक मुआवजा, हालांकि जीवन के नुकसान के लिए एक पूर्ण विकल्प नहीं है, शोक संतप्त परिवार के लिए कुछ हद तक सांत्वना प्रदान कर सकता है और भविष्य में हिरासत में हिंसा के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है।

20. पीड़ित को भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि के मुद्दे के संबंध में, स्वतः संज्ञान हिरासत हिंसा (उपरोक्त) में मेघालय उच्च न्यायालय के फैसले में, भुगतान की जाने वाली मात्रा के संबंध में एक वर्गीकरण किया गया था, जिसमें तीन श्रेणियां बनाई गई थीं- (क) 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपये की राशि; (ख) 30 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के बीच 12 लाख रुपये और (ग) 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए यह राशि 10 लाख रुपये होगी। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्णय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेघालय राज्य बनाम किलिंग जना और अन्य में एसएलपी(C) डायरी संख्या-47683/2023 में 22 जनवरी, 2024 के आदेश के माध्यम से विशेष रूप से पीड़ित की उम्र के आधार पर विभिन्न मुआवजे देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई श्रेणियों के संबंध में रोक लगा दी गई है। उसी के आलोक में, कोई भी मुआवजे की मात्रा पर निर्णय लेने के लिए उक्त निर्णय को एक आधिकारिक मिसाल के रूप में लागू नहीं कर सकता है। हाल के वर्षों में, जैसा कि ऊपर उल्लिखित निर्णयों में दर्शाया गया है, उच्च न्यायालयों और माननीय उच्चतम न्यायालय ने हिरासत में हुई मौतों के लिए 10 लाख रुपए की राशि का आदेश दिया है।

21. पूर्वोक्त निर्णयों में निर्धारित अनुपातों को छानने पर, हिरासत में मृत्यु के मामले में प्रारंभिक कदम के रूप में निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

ए- मृतक के परिवार के सदस्यों को मृतक की मृत्यु के बारे में जेल प्राधिकरण द्वारा



तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। धारा 174 द०प्र०स० (संबंधित धारा 194 बी.एन.एस.एस.) के अनुसार बिना किसी देरी के स्वतंत्र पंचों के साथ एक पंचनामा तुरंत तैयार किया जाएगा।

बी- बिना किसी देरी के मृत्यु के कारण का उल्लेख करते हुए तुरंत एक थाना परीक्षा अवधारित की जानी चाहिए। मृतक की हिरासत में मौत के मामले में थाना परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।

सी- सभी गवाहों पर विचार करने के तुरंत बाद संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 176 द०प्र०स० (संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस.) के अनुसार पंचनामा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

डी- हिरासत में मृतक के परिजनों को सांत्वना प्रदान करने के लिए मौद्रिक मुआवजे का भुगतान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा व्यक्तिगत हिरासत में मौत के मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद किया जाना चाहिए।

22. तदनुसार, रिट याचिका की **अनुमति** दी जाती है। नतीजतन, प्रतिपक्षियों को तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को 10,00,000 रुपये (केवल दस लाख रुपये) का मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है।

23. यह मुआवजा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित नागरिक या आपराधिक कार्यवाही करने के याचिकाकर्ताओं के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। राज्य सरकार को यह भी निदेश दिया जाता है कि वह मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उपलब्ध आयु, आय और आश्रितों के आधार पर गुणक पद्धति के समान हिरासत में मृत्यु के मामलों में मुआवजा देने में संगत और ठोस मानदंडों को अपनाकर मुआवजा निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे।

24. उपरोक्त शर्तों में रिट याचिका की **अनुमति** दी जाती है।

(न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ़)

मैं सहमत हूँ



(माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल)

20 फरवरी, 2026

आशुतोष/सीकेएस

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!